नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा,
जिला - गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)

पत्र संख्याः नौएडा/ बोर्ड बैठक/2025/1408
दिनांकः 17-04-2025

विशेष कार्याधिकारी–(के0एस0 / डी0पी0 / ए0एस0 / ए0के0),
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
महाप्रबंधक – (जल / विद्युत यांत्रिकी / नियोजन / जन स्वास्थ्य)
उप महाप्रबन्धक (सिविल)
निदेशक–उद्यान
सहायक महाप्रबंधक
(औद्योगिक / संस्थागत / वाणिज्यिक / आवासीय भूखण्ड / सामान्य प्रशासन / स्पोर्ट सिटी)
नौएडा ।

कृपया प्राधिकरण बोर्ड की 217वीं बैठक दिनॉक 28.03.2025 के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अपने विभाग से सम्बन्धित प्रस्तावों पर लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पत्र जारी होने की तिथि से 07 दिनो के अन्दर बोर्ड बैठक कार्यालय में भिजवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(शोमा कुशवाहा)
सहायक महाप्रबन्धक–बोर्ड बैठक

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस0के0 / वी0टी0 / एस0पी0) महोदय / महोदया के सादर अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव को विशेष कार्याधिकारी–एम0पी0 महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विधि सलाहकार महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
5. वित्त नियंत्रक, महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

सहायक महाप्रबन्धक–बोर्ड बैठक

Scanned with OKEN Scanner

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

बोर्ड की

217वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक :- 28.03.2025

समय :- अपरान्ह् : 01.30 बजे

स्थान :- सभाकक्ष
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन,
सैक्टर–6, नौएडा,
जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)।

Scanned with OKEN Scanner

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड की 217वीं बैठक दिनांक 28.03.2025 का कार्यवृत

मद संख्या	विषय
217/1	प्राधिकरण बोर्ड की 215वीं बैठक दिनांक 26.10.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं प्रस्तुत प्रस्तावों पर लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय	प्राधिकरण बोर्ड की 215वीं बैठक दिनांक 26.10.2024 को सम्पन्न हुई थी। उक्त बैठक का कार्यवृत्त संचालक मण्डल के सदस्यों को प्राधिकरण के पत्र दिनांक 28.11.2024 द्वारा प्रेषित किया गया था। कार्यवृत्त प्रसारित होने के उपरान्त सदस्यगणों द्वारा कोई टिप्पणी व्यक्त नहीं की गयी है। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
217/2	प्राधिकरण बोर्ड की 216वीं बैठक दिनांक 02.01.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं प्रस्तुत प्रस्तावों पर लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय	प्राधिकरण बोर्ड की 216वीं बैठक दिनांक 02.01.2025 को सम्पन्न हुई थी। उक्त बैठक का कार्यवृत्त संचालक मण्डल के सदस्यों को प्राधिकरण के पत्र दिनांक 10.02.2025 द्वारा प्रेषित किया गया था। कार्यवृत्त प्रसारित होने के उपरान्त सदस्यगणों द्वारा कोई टिप्पणी व्यक्त नहीं की गयी है। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। संस्थागत परिसम्पत्तियों हेतु मद संख्या 216/3 में संचालक मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये थे कि जिन भूखण्डों द्वारा 31.12.2024 तक कार्यशीलता हेतु आवेदन नहीं किया गया है, उन भूखण्डों द्वारा कार्यशीलता हेतु आवेदन करने पर पुनर्स्थापन शुल्क अधिरोपित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। यहां संज्ञानित हुआ कि संस्थागत विभाग में अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात ही कार्यशीलता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं कई परिसम्पत्तियों के आवंटियों द्वारा 31.12.2024 से पूर्व ही अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर दिया गया था। अधिभोग प्रमाण पत्र जारी न होने के कारणवश आवंटी कार्यशीलता हेतु आवेदन नहीं कर सके। अतः संस्थागत परिसम्पत्तियों हेतु मद संख्या 216/3 में संचालक मण्डल द्वारा पारित निर्णय को इस सीमा तक संशोधित माना गया कि जिन आवंटियों द्वारा 31.12.2024 तक अधिभोग प्रमाण पत्र अथवा कार्यशीलता हेतु आवेदन कर दिया गया था, उन पर पुनर्स्थापन शुल्क अधिरोपित न किया जाये। इसके अतिरिक्त अधिनियम से आच्छादित भूखण्डों की सूचना शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

Scanned with OKEN Scanner

विभाग– ग्रुप हाउसिंग	
217/3	पुरानी रूकी हुई भू-भाटक परियोजनाओं (लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स) की समस्याओं के निदान के लिये शासनादेश संख्या–7774/77–4–2023– 6011/2023, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के क्रम मे नीति/पैकेज को कियान्वयन के संबंध में प्रगति रिपोर्ट।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा शासनादेश संख्या–7774/77–4–2023–6011/2023, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के कम मे नीति/पैकेज को क्रियान्वयन के संबंध में प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए मा0 एन0जी0टी0 के आदेश एवं शासनादेश दिनांक 21.12.2023 के क्रम में शून्य अवधि का लाभ दिये गये 13 प्रकरणों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही जिन बिल्डरों द्वारा शासनादेश के क्रम में देय धनराशि जमा नहीं करायी गयी है, उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं जिन परियोजनाओं में देय धनराशि जमा करा दी गयी है, उनमें जमा धनराशि के सापेक्ष अवशेष रजिस्ट्रियाँ शीघ्र कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
विभाग– वित्त विभाग	
217/4	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक) वास्तविक परिलब्धियाँ/पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रस्तावित आय–व्ययक।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक) वास्तविक परिलब्धियाँ/पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रस्तावित आय–व्ययक के प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया। • वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल प्राप्तियों का लक्ष्य रू0 9,00,826.00 लाख (रू0 9008.26 करोड़) निर्धारित किया गया है। • वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल भुगतान का लक्ष्य रू0 8,73,240.00 लाख (रू0 8732.40 करोड़) निर्धारित किया गया है।
217/5	वित्तीय वर्ष 2024–25 के दिनांक 25 मार्च 2025 तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दिनांक 25 मार्च 2025 तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या के प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

217/6	प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पत्तियों की वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु भू–दरों के निर्धारण के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पत्तियों की वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु भू–दरों के निर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
217/7	प्राधिकरण द्वारा पूँजी निधि के रूप में एक Corpus Fund सृजित किये जाने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकरण द्वारा पूँजी निधि के रूप में एक **Corpus Fund** सृजित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
217/8	नौएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु ज्वाइंट वेंचर कम्पनी के रूप में Noida International Airport Ltd. में निर्धारित अंशधारिता के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी धनराशि के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा नौएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की स्थापना हेतु ज्वाइंट वेंचर कम्पनी के रूप में **Noida International Airport Ltd.** में निर्धारित अंशधारिता के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी धनराशि के प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
217/9	इन्वेस्ट यू0पी0 को विश्व आर्थिक मंच की बैठक के आयोजन हेतु भुगतान की गयी धनराशि के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा इन्वेस्ट यू0पी0 को विश्व आर्थिक मंच की बैठक के आयोजन हेतु भुगतान की गयी धनराशि के प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
विभाग– औद्योगिक	
217/10	अध्यक्ष महोदय, नोएडा के पत्र संख्याः नोएडा/अध्यक्ष /2025/ 56, दिनांक 26.02.2025 के क्रम में मै0 अडानी इन्टर प्राइजेज को डाटा सेन्टर परियोजना हेतु आवंटित भूखण्ड संख्या सी–24 से 30 सेक्टर–80 के विषय में प्राधिकरण बोर्ड की 214वीं बैठक दिनांक 12.07.2024 में लिये गये निर्णय की पुनः समीक्षा के सम्बन्ध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा टिप्पणी की गई कि प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 214वीं बैठक में उक्त प्रकरण को निस्तारित किया जा चुका है। उक्त बैठक में संचालक मण्डल द्वारा इस तथ्य का संज्ञान लिया गया था कि सामान्यतः विशिष्ट नीतिगत प्रावधानों को सामान्य नीति प्रावधानों पर वरीयता प्रदान की जा सकती है। तदनुसार

संचालक मण्डल द्वारा आवंटी M/s. Adani Enterprises Ltd. के अनुरोध के क्रम में भूखण्ड संख्या सी–24 से 30 सैक्टर–80, नौएडा का उप–पट्टा प्रलेख M/s. Noida Data Centre Ltd. के पक्ष में निष्पादित किये जाने के निर्देश दिये गये।

उपर्युक्तानुसार बोर्ड के निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.08.2024 को M/s. Noida Data Centre Ltd. के पक्ष में उप–पट्टा प्रलेख निष्पादन हेतु चेकलिस्ट निर्गत की गई, जिसके बिन्दु संख्या–07 में प्राधिकरण द्वारा उप–पट्टा प्रलेख निष्पादित किये जाने हेतु देय अन्तरण शुल्क रू0 10,78,86,376/– + जी0एस0टी0 की मांग का उल्लेख था। आवंटी द्वारा प्रस्नगत अंतरण शुल्क की मांग पर पुनर्विचार करते हुए इसे हटाने का अनुरोध किया जा रहा है।

प्रस्नगत भूखण्ड में आवंटी द्वारा वर्तमान तिथि तक मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं किया गया है तथा अकार्यशील है। भूखण्ड आवंटन योजना की विवरणिका में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख था कि आवंटन तिथि के 05 वर्ष तक तथा कार्यशीलता से पूर्व भूखण्ड का अंतरण अनुमन्य नहीं होगा।

बोर्ड द्वारा इस विषय पर चेयरमैन, नौएडा प्राधिकरण के पत्र संख्या: नौएडा/अध्यक्ष/2025/56, दिनांक 26.02.2025 का संज्ञान लिया गया। आवंटी इकाई एवं प्राधिकरण के मध्यम निष्पादित एवं पंजीकृत पट्टा प्रलेख (lease deed) में वर्णित शर्त संख्या 14–बी में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि पट्टेदार को डेटा सेंटर के समान प्रोजेक्ट के लिए निर्मित स्थान के एक हिस्से को उप–पट्टे पर देने की अनुमति दी जा सकती है। अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब इकाई ने अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो और इकाई को कार्यशील घोषित कर दिया गया हो। पट्टादाता को प्रचलित नीति के अनुसार इन सेवाओं के लिए शुल्क/प्रभार लगाने का अधिकार होगा।

डाटा सेन्टर पॉलिसी–2021 की धारा 8.3.i में उल्लेख है कि **"Clause 8.3.i Sub-leasing: DC parks shall be allowed to sublease the land/buildings to DC units/SPV without any sublease or transfer charges. Right to levy above fees/charges is given to respective Industrial Authorities by the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act 1976. No financial assistance in this regards shall be passed on by the Government."** डाटा सेन्टर पार्कों को बिना किसी उपपट्टे या हस्तांतरण शुल्क के डाटा सेन्टर इकाईयों/एस0पी0वी0 को भूमि/भवन उप–पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी। उपरोक्त शुल्क/प्रभार लगाने का अधिकार उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास 1976 द्वारा औद्योगिक प्राधिकरणों को दिया गया है।

संचालक मण्डल द्वारा उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए टिप्पणी की गई कि आवंटी द्वारा योजना विवरणिका में उल्लिखित नियम व शर्तों को स्वीकार करते हुए आवेदन किया गया था तथा आवंटी आवंटन पत्र एवं पट्टा प्रलेख की नियम व शर्तों से बाध्य है। इस स्थिति में आवंटी को किसी प्रकार की शिथिलता प्रदान किया जाना post allotment benefit की श्रेणी में आयेगा। अतः परियोजना पूर्ण करने के उपरान्त ही ट्रांसफर

Scanned with OKEN Scanner

	अनुमन्य होगा।
217/11	उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2024 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2024 को अंगीकृत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
217/12	उत्तर प्रदेश मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति– 2024 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में ।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति–2024 को अंगीकृत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
विभाग– वाणिज्यिक	
217/13	वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या ए–2, सैक्टर–38ए नौएडा मैसर्स एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड द्वारा प्राधिकरण की 216वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में मानचित्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या ए–002 सैक्टर–38ए, नौएडा मैसर्स एंटरटेनमेंट सिटी लि0 के भू विन्यास मानचित्र के नवीनीकरण हेतु संशोधित प्रस्ताव पत्र दिनांक 18.12.2024 तथा नवीनतम पत्र दिनांक 03.02.2025 के माध्यम से प्रस्तुत अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि 1. प्रवर्तन निदेशालय के आदेश दिनांक 01.11.2024 के द्वारा प्रश्नगत परियोजना के 3,93,737.28 वर्गफीट वाणिज्यिक बिल्टअप क्षेत्र को Attach (संबद्ध) किया गया है। यद्यपि उक्त के संबंध में आवंटी मैसर्स इन्टरटेनमेन्ट सिटी लि0 द्वारा पत्र दिनांक 18.12.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जो प्रवर्तन निदेशालय का आदेश दिनांक 01.11.2024 Great India Place Mall, Gardens Galleria Mall पर प्रभावी है एवं दोनों ही क्षेत्र प्रस्तुत Renewal Plan के बाहर के क्षेत्र है। इस क्रम में विधि विभाग द्वारा इस तथ्य का परीक्षण कर लिया जाये कि प्रवर्तन निदेशालय के आदेश दिनांक 01.11.2024 के प्रभावी रहते प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं। 2. मैसर्स एंटरटेनमेंट सिटी लि0 द्वारा अपने अनुरोध में वर्तमान अतिदेयता के भुगतान हेतु रू0 20 करोड़ का भुगतान करने के उपरान्त अवशेष अतिदेयता का भुगतान 12 त्रैमासिक किश्तों में किये जाने का उल्लेख किया है। आवंटी के अनुरोध को इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि आवंटी एक किश्त की बैंक गारन्टी

	प्राधिकरण के पक्ष में जमा करेगें जोकि प्रत्येक किश्त के भुगतान के उपरान्त अगली किश्त तक रोलओवर हो जायेगी। सभी किश्तों के भुगतान के उपरान्त बैंक गारन्टी वापस कर दी जायेगी।
विभाग– स्पोर्ट्स सिटी	
217/14	स्पोर्ट्स सिटी भूखण्ड संख्या–एस0सी0–01, सैक्टर–78 एवं 79, स्पोर्ट्स सिटी भूखण्ड सख्या–एस0सी0–01,सैक्टर–150 तथा स्पोर्ट्स सिटी भूखण्ड संख्या–एस0सी0–02, सैक्टर–150 नोएडा में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में दिनांक 24.02.2025 को पारित आदेशों के अनुपालन के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया एवं विचारोपरान्त यह निर्देश दिये गये कि स्पोर्ट्स सिटी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में दिनांक 24.02.2025 की पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा स्पोर्ट्स सिटी के विभिन्न प्रकरणों में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये एक लीगल एक्सपर्ट को सम्बद्ध कर लिया जाये।
विभाग– संस्थागत	
217/15	इंडियन मेडिकल एसोसियेशन को अनुज्ञा के आधार पर आवंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या ई–2, सैक्टर–31, नौएडा के लाइसेंस एग्रीमेट की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत अग्रिम 25 वर्षों के लिये नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसियेशन को अनुज्ञा के आधार पर आवंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या ई–2, सैक्टर–31, नौएडा के लाइसेंस एग्रीमेंट की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत आई0एम0ए0 के कार्यकलापों का गुण–दोष के आधार पर मूल्यांकन करते हुए प्रत्येक 05 वर्ष में नवीनीकरण लाईसेंस एग्रीमेन्ट की अवधि से अग्रिम 25 वर्षों के लिये किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
217/16	Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2024-25 के अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर में कामकाजी महिला श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने जाने के विषयक।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2024-25** के अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर में कामकाजी महिला श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

Scanned with OKEN Scanner

217/17	M/s. Footwear Design & Development Institute को आवंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या ए–10ए, सैक्टर– 24 नौएडा में आवंटी संस्था के अनुरोध के क्रम में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भू–भाटक 50 प्रतिशत बढ़ाते हुए भू–भाटक विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण भू–भाटक की बढ़ी हुई राशि व भू–भाटक पर देय दण्डात्मक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान पर साधारण ब्याज सहित लिये जाने हेतु।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा **M/s. Footwear Design & Development Institute** को आवंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या ए–10ए, सैक्टर– 24 नौएडा में आवंटी संस्था के अनुरोध के क्रम में भूखण्ड को निःशुल्क पुर्नस्थापित करते हुए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भू–भाटक 50 प्रतिशत बढ़ाते हुए भू–भाटक विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण भू–भाटक की बढ़ी हुई राशि व भू–भाटक पर देय दण्डात्मक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान पर साधारण ब्याज सहित लिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
विभाग–नियोजन	
217/18	संस्थागत भूखण्ड संख्या ए–16, सैक्टर–62, नौएडा पर क्रय योग्य एफ0ए0आर0 की धनराशि को जमा कराने हेतु अनुमन्य अवधि से अतिरिक्त समय दिये जाने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा संस्थागत भूखण्ड संख्या ए–16, सैक्टर–62, नौएडा पर क्रय योग्य एफ0ए0आर0 की धनराशि को जमा कराने हेतु अनुमन्य अवधि से अतिरिक्त समय ब्याज सहित दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
217/19	स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी में आंशिक संशोधन किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
विभाग–जल	
217/20	नौएडा ग्रेटर नौएडा–एक्सप्रेस हाइवे के समानान्तर ग्रीन बैल्ट में दायी एवं बायीं ओर चैनेज संख्या 10.30 कि0मी0 से 20.00 कि0मी0 तक उ0प्र0 जल निगम द्वारा निर्मित गहरी सीवर लाईन को नौएडा प्राधिकरण द्वारा सुदृढ़ीकरण के पश्चात क्रियाशील करने के संबंध में।
निर्णय	उपरोक्त के आलोक में वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्ष 2002 में उ0प्र0 जल निगम के साथ इस कार्य के लिए पूर्व गठित MoU को तत्काल प्रभाव

	से निरस्त करते हुये शेष (सीवेज उत्सर्जन एवं शोधन के लिए गहरी सीवर लाईन) कार्य को प्राधिकरण के द्वारा स्वयं कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य में पूर्व में दिनांक 06.05.2023 को उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रेषित आगणन धनराशि रू0–63.36 करोड़ के सापेक्ष प्राधिकरण स्तर से लगभग धनराशि रू0–40.00 करोड़ में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त एजेण्डा को संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
विभाग–कार्मिक	
217/21	शासनादेश संख्या 4835/77–4–20–03जीएन/20 दिनांक 01.01.2021 एवं शासनादेश संख्या 852/77–4–20–03 जीएन /20 दिनांक 21.04.2021 के क्रम में कार्यहित में नौएडा प्राधिकरण में समूह क, ख एवं ग श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मियो को 06 माह के लिए नौएडा प्राधिकरण में संविदा के आधार पर अनुबंधित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा शासनादेश संख्या 4835/77–4–20–03जीएन/20 दिनांक 01.01.2021 एवं शासनादेश संख्या 852/77–4–20–03 जीएन /20 दिनांक 21.04.2021 के क्रम में कार्यहित में नौएडा प्राधिकरण में समूह क, ख एवं ग श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मियो को 06 माह के लिए नौएडा प्राधिकरण में संविदा के आधार पर अनुबंधित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
217/22	शासनादेश संख्या 4835/77–4–20–03 जीएन/20 दिनांक 01.01.2021 एवं शासनादेश संख्या 852/77–4–20–03 जीएन/20 दिनांक 21.04.2021 के क्रम में प्राधिकरण में अनुबंधित किये गये सेवानिवृत्त कर्मियों का मानदेय नियत किये जाने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा शासनादेश संख्या 4835/77–4–20–03 जीएन/20 दिनांक 01.01.2021 एवं शासनादेश संख्या 852/77–4–20–03 जीएन/20 दिनांक 21.04.2021 के क्रम में प्राधिकरण में अनुबंधित किये गये सेवानिवृत्त कर्मियों का मानदेय नियत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
विभाग–[illegible]	
217/23	कालिन्दी कुंज से बॉटेनिकल गार्डन तक की मैट्रो परियोजना, सैक्टर–32, नोएडा से सैक्टर–62, नोएडा तक की मैट्रो परियोजना की अवशेष धनराशि एवं मैट्रो परियोजनाओं हेतु लेबर वेलफेयर सेस की धनराशि का भुगतान डी०एम०आर०सी० को किये जाने के संबंध में।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा कॉलिन्दी कुँज से बोटेनिकल गार्डन तक की मैट्रो परियोजना, सैक्टर–32, नौएडा से सैक्टर–62, नौएडा तक की मैट्रो परियोजना की अवशेष धनराशि एवं मैट्रो परियोजनाओं हेतु लेबर वेलफेयर सैस की धनराशि का भुगतान डी०एम०आर०सी० को किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
विभाग–सिविल विभाग (वर्क्स सर्किल–0)	
217/24	नौएडा–ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस–वे के वैकल्पिक मार्ग हेतु यमुना मार्जिनल बंध रोड के समानान्तर प्रस्तावित एक्सप्रेस वे (एलिवेटेड/ऑन–ग्राउण्ड) के निर्माण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को दिये जाने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा नौएडा–ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस–वे के वैकल्पिक मार्ग हेतु यमुना मार्जिनल बंध रोड के समानान्तर प्रस्तावित एक्सप्रेस वे (एलिवेटेड/ऑन–ग्राउण्ड) के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश दिये गये कि उक्त निर्माण में होने वाले व्यय का वहन नौएडा, ग्रेटर नौएडा तथा यमुना एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। इस कार्य को यू०पी०डा० द्वारा कराने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त डी०एन०डी० फ्लाईओवर से सैक्टर–15ए को जोड़ने वाली सड़क पर निरन्तर जाम की समस्या के निराकरण हेतु एक ट्रैफिक **consultant** की सेवायें प्राप्त कर उसका **Presentation** आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।
विभाग– भूलेख	
217/25	याचिका संख्या– 6022/ 2008 एवं याचिका संख्या–37443/ 2011 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, की पूर्ण पीठ के आदेश क्रमशः दिनांक 17.02.2012 व दिनांक 21.10.2011 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–30969/2011 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–19301/2012, में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2015 व दिनांक 03.02.2015 के अनुपालन में याची काश्तकारगणों को पात्रता के अनुसार 10 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड के समतुल्य धनराशि के स्थान पर 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड व अतिरिक्त 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड के समतुल्य धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
अनुपूरक मद संख्या 217/1	नौएडा प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष शत प्रतिशत प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के पश्चात पुनः 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड/समतुल्य धनराशि प्रदान किये जाने के संबंध में।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि प्रकरण से सम्बन्धित आच्छादित किसानों की संख्या का आंकलन कर तथा प्रस्ताव स्वीकृत होने की स्थिति में प्राधिकरण पर पड़ने वाले वित्तीय भार एवं भूमि की देयता का आंकलन कर प्रस्तुत किया जाये।
अनुपूरक मद संख्या 217/2	दादरी–नौएडा–गाजियाबाद (डी.एन.जी.आई.आर.) में जनपद–बुलन्दशहर के अधिसूचित ग्रामों के सन्दर्भ में नौएडा प्राधिकरण बोर्ड में लिये जाने वाले निर्णयों के संबंध में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर व उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर एवं खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर को प्राधिकरण बोर्ड का सदस्य नामित किये जाने विषयक।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा दादरी–नौएडा–गाजियाबाद (डी.एन.जी.आई.आर.) में जनपद–बुलन्दशहर के अधिसूचित ग्रामों के सन्दर्भ में नौएडा प्राधिकरण बोर्ड में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर व उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर एवं खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर को प्राधिकरण बोर्ड का सदस्य नामित किये जाने हेतु सहमति प्रदान करते हुए शासन को पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।
विभाग–नियोजन	
अनुपूरक मद संख्या 217/3	ग्रीन बैल्ट में पूर्व से स्थापित डी.जी. सैट्स. की भूमि के बदले सुपरटैक इम्राल्ड कोर्ट की भूमि की अदला–बदली के संबंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को निरस्त किया गया।
विभाग– वाणिज्यिक/एन0एम0आर0सी0	
अनुपूरक मद संख्या 217/4	नौएडा–ग्रेटर नौएडा मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के संचालन हेतु डी0पी0आर0 के प्राविधानों के अनुसार एन0एम0आर0सी0 को सैक्टर–71 नौएडा में वाणिज्यिक भूमि आंवटित करने के संबंध में
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को सम्यक विचारोपरान्त Defer किया गया।
विभाग– स्पोर्ट्स सिटी	
अनुपूरक मद संख्या 217/5	वाणिज्यिक स्पोर्ट्स सिटी भूखण्ड संख्या–एस0सी0– –02, सैक्टर–150 नोएडा क्षेत्रफल 13,29,745 वर्गमीटर पर 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर वसूली हेतु क्रमशः जारी पत्र संख्या–नौएडा/वाणिज्य/2017/237, दिनांक 06.09.2017, 05.03.2025 एवं 12.03.2025 को वापिस लिये जाने के संबंध में।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण स्पोर्ट्स सिटी भूखण्ड संख्या–एस0सी0– –02, सैक्टर–150 में माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में देयता के संबंध में मांग पत्र प्रेषित किये जाने से पूर्व प्राधिकरण के सनदी लेखाकार से सत्यापन करवा लें।
अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से–	
एजेण्डा–1	प्राधिकरणों में कार्य करने के लिए यूनीफाइड पॉलिसी (भूखण्डों के आवंटन/निरस्तीकरण/पट्टा विलेख का निष्पादन/कब्जा) आदि से सम्बन्धित नीति में आवश्यक संशोधनों पर विचार–विमर्श।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा यूनीफाईड पॉलिसी को लागू किये जाने के उपरान्त नीतिगत सुझावों तथा प्रावधानों को लागू करने में पूर्व आवंटियों को आ रही समस्याओं का संज्ञान लिया गया। नीतिगत सुझावों पर विचार–विमर्श के उपरान्त बनी सहमति के आधार पर यूनीफ्राइड पॉलिसी की संशोधित प्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त मुख्यतः औद्योगिक संगठनों एवं आवंटियों द्वारा ट्रान्सफर सी०आई०एस० शुल्क, समयवृद्धि, सी०आई०एस० में परिवर्तन होने के 90 दिन के पश्चात से लगने वाले विलम्ब शुल्क इत्यादि सम्बन्धी प्रकरणों के सम्बन्ध में किये गये अनुरोध पर आवश्यक संशोधनों के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरान्त संचालक मण्डल द्वारा पूर्व आवंटियों को परिसम्पत्ति सेवाएं प्रदान किये जाने में यूनीफाईड पॉलिसी के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदनों के निस्तारण में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए प्राधिकरण स्तर पर कार्यवाही किए जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा को अधिकृत किया गया।
एजेण्डा–2	बिल्डर के अधूरे ग्रुप हाउसिंग, प्रोजेक्ट्स इण्डस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कामर्शियल भूखण्डों के पूर्ण होने पर विचार–विमर्श।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा औद्योगिक एवं संस्थागत विभागों की अधिनियम से आच्छादित भूखण्डों की कार्यशीलता की अद्यतन स्थिति की आख्या का अवलोकन किया। <u>औद्योगिक विभाग–</u> औद्योगिक विभाग की स्थिति का अवलोकन करते हुए संचालक मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि 1. अतिदेयता के कारण लम्बित आवेदनों को 60 दिवसों के भीतर अतिदेयता का भुगतान का एक अन्तिम अवसर दे दिया जाये। यदि इनके द्वारा अतिदेयता का भुगतान कर दिया जाता है तो प्राधिकरण बोर्ड की 216वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की

Scanned with OKEN Scanner

	जाये। 2. अधिनियम से आच्छादित प्रकरणों की सूची शासन को एक अन्तिम समयवृद्धि प्रदान करने के अनुरोध के साथ सन्दर्भित कर दी जाये। <u>संस्थागत विभाग–</u> संस्थागत विभाग की स्थिति का अवलोकन करते हुए संचालक मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि अधिनियम से आच्छादित ऐसे प्रकरण जिनमें दिनांक 31.12.2024 के उपरान्त भवन निर्माण हेतु समयवृद्धि समाप्त हो गई ऐसे समस्त प्रकरणों को अग्रिम दिशा–निर्देशार्थ उ0प्र0 शासन को संदर्भित कर दिया जाये।
एजेण्डा–3	पिछले एक वर्ष में भूखण्डों के आवंटन इण्डस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कामर्शियल की संख्या एवं एरिया पर विचार–विमर्श।
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा विगत 02 वित्तीय वर्षों में आवंटित परिसम्पत्तियों की सूची का अवलोकन किया गया तथा प्राधिकरण स्तर पर इन्हें शीघ्र कार्यशील कराने हेतु निर्देशित किया गया।
एजेण्डा–4	सैक्टर–94 में **Habitat Centre** बनाने के संवंध में।
निर्णय	संचालक मण्डल के समक्ष **Habitat Centre** हेतु प्रस्तुतीकरण किया गया। उक्त के उपरान्त संचालक मण्डल द्वारा इसकी कार्य योजना, निर्माण तथा रिवन्यू शेयरिंग के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सुविचारित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुये बैठक समाप्त हुई।

(डॉ0 लोकेश एम0)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सदस्य–सचिव

अनुमोदित
16.4.25
(मनोज कुमार सिंह)
अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner